

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363

आवास - 0551 - 2201507

कि

कुलसचिव,

दोनदयाल-उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेजे जान  
वाल सभी पत्रों में पूरा पत्र  
व्यवहार की संख्या दिनांक तथा  
उद्धृत विभाग का नाम दिया

संक्र: 10.55 /सम्बन्धना/2008

दिनांक: 25 /09 /2008

श्री में,

प्रबन्धक,

स्वयं प्रभा महिला महाविद्यालय,

आनन्द नगर, फरेन्दा, महाराजगंज।

वय : स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत एम०ईडि० विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रिय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक: 08.08.2008 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलापति जी ने  
उन समिति की संस्तुति दिनांक 26.06.2008 के आधार पर विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन  
में प्रदान करने की कृपा की है:-


क्र. सं.	विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	डा० राम नरेश धर दूवे	आचार्य
2.	डा० दया शंकर तिवारी	उपाचार्य
3.	डा० हरिश्चन्द्र गिरि	प्रवक्ता
4.	श्री आलोक द्विवेदी	प्रवक्ता
5.	सुशी वन्दना वर्मा	प्रवक्ता

महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति आगमनदिन संख्या: 2443/सनर-2 2000-2(85)/97 दिनांक:  
09. मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं  
नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय की उपलब्ध  
कराने का कष्ट करें।

आगमनदिन संख्या: 759/सनर-2 2005-2(85) 97 दिनांक: 11. मार्च, 2005 में उल्लिखित निदेशों के  
अनुसार छात्रों के शिक्षण भुक्त से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन  
पत्र में व्यव किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि  
का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त  
अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों की एकाण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।

प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रीजटर भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

  
कुलसचिव

25/9/08

25/9/08

25/9/08

25/9/08